न्यायालय सहायक कलक्टर बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)

मुक्दमा नम्बर :– 11 / 2024

दायर दिनांक :– 05.03.2024

निर्णय दिनांक :–

उनवान

1. भागीरथ पुत्र हरिसिंह जाति गुर्जर निवासी जैनपुरवास तहसील बहरोड। –पार्टी न.01
2. छंगाराम पुत्र श्योनारायण जाति गुर्जर निवासी जैनपुरवास तहसील बहरोड़।
3. छीतर पुत्र श्योनारायण जाति गुर्जर निवासी जैनपुरवास तहसील बहरोड़।
4. श्रामकरण पुत्र रामनिवास जाति गुर्जर निवासी जैनपुरवास तहसील बहरोड।
5. हजारी पुत्र रामनिवास जाति गुर्जर निवासी जैनपुरवास तहसील बहरोड़।–पार्टी न.02

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब बहरोड़। ......असल प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 48,49 आर.टी.ए

उपस्थित :–

1. श्री विरेन्अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री विरेन्द्र सिंह यादव एण्ड नरपाल यादव अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश की गई। वकील वादी उपस्थित है। पत्रावली के सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 2118 रकबा 0.31 हैक्टेयर वाके ग्राम जैनपुरवास तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज. में स्थित है जिसमें पार्टी सं. 1 भागीरथ 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी हाल की नकल संलग्न है। आराजी खसरा नम्बर हाल 186 रकबा 0.07 हैक्टेयर वाके ग्राम जैनपुरवास तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज. में स्थित है जिसमें पार्टी संख्या 2 के छंगाराम का 1/3 भाग, छीतर का 1/3 भाग, रामकरण का 1/6 भाग एवं हजारी का 1/6 भाग के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी हाल की नकल संलग्न है। मुझ प्रथम पार्टी की अन्य आराजीयात द्वितीय पार्टी की उक्त भूमि के पास लगती है व द्वितीय पार्टी की अन्य आराजीयात प्रथम पार्टी की उक्त भूमि के पास लगती हुई है इसलिए हम दोनों पार्टीयों ने आपस में काश्त की सहुलियत से व उन्नत कृषि तथा अच्छी पैदावार करने के लिए आपस में जमीन के बदले जमीन देंकर इस प्रकार तबादला कर लिया है कि प्रथम पार्टी ने खसरा नम्बर 2118 रकबा 0.31 हैक्टेयर वाके ग्राम जैनपुरवास तहसील बहरोड में अपने 1/4 सम्पूर्ण खातेदार हिस्सा यानि कुल 0.0775 हैक्टेयर भूमि तबादला में द्वितीय पार्टीगण को दी गई है तथा इसकी ऐवज में द्वितीय पार्टीगण ने खसरा नम्बर हाल 186 रकबा 0.07 हैक्टेयर वाके ग्राम जैनपुरवास तहसील बहरोड में अपना सम्पूर्ण हिस्सा यानि 0.07 हैक्टेयर भूमि पार्टी संख्या 1 को दी गई है इसी अनुसार हम दोनों पक्षों ने उक्त आराजी का जमीन के बदले जमीन देकर तबादला कर लिया है और मौके पर दोनों पक्ष उक्त तबादला के आधार पर काबिज रहकर काश्त करना चालू कर दिया है। उक्त तबादला से दोनों पक्ष सहमत है तथा तबादला के आधार पर दोनों पक्ष मौके पर राजी खुशी काबिज होकर काश्त कर रहे है लेकिन उक्त तबादला के आधार पर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज नहीं हुई है इसलिए हम दोनों पक्ष उक्त तबादला के आधार पर

सहायक कलेक्टर
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

आपसी सहमति व रजामन्दी से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करवाना चाहते है जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से पेश किया जा रहा है। इसलिए तबादला के आधार पर आराजी मुतनाजा की खातेदारी दर्ज किया जाना न्याय संगत है। श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर हाल 2118 रकबा 0.31 हैक्टेयर वाके ग्राम जैनपुरवास तहसील बहरोड में प्रथम पार्टी संख्या 1 (भागीरथ पुत्र हरीसिंह) के नाम खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उक्त आराजी में भागीरथ के 1/4 सम्पूर्ण हिस्सा का खातेदार पाटी संख्या 2 (छंगाराम को 1/12 भाग, छीतर को 1/12 भाग, रामकरण को 1/24 भाग एवं हजारी को 1/24 भाग) के खातेदार घोषित किया जावे। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर हाल 186 रकबा 0.07 हैक्टेयर वाके ग्राम जैनपुरवास तहसील बहरोड में द्वितीय पार्टी (छंगाराम, छीतर, रामकरण, हजारी) के नाम खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उक्त सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार पार्टी संख्या 1 भागीरथ पुत्र हरीसिंह को खातेदार घोषित किया जावे व इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात में अंकन करने का आदेश फरमाया जाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि पक्षकारान के तबादला के आधार पर खातेदार घोि ात किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी तथा पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पक्षकारो द्वारा यह प्रार्थना पत्र अपनी सहमति से अपनी आराजी का जमीन के बदले जमीन का आपस में तबादला किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आराजी के दोनो पक्ष खातेदार काश्तकार है। जिसमें समान आराजी का तबादला किया जा रहा है। जिससे किसी प्रकार की कोई आपत्ती नही है। वादीगण का प्रार्थना पत्र पूर्णतया सिद्व पाया जाता है।

–: आदेश :–

प्रार्थी का यह वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर हाल 2118 रकबा 0.31 हैक्टेयर वाके ग्राम जैनपुरवास तहसील बहरोड़ में प्रथम पार्टी संख्या 1 भागीरथ पुत्र हरीसिंह के नाम खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उक्त आराजी में भागीरथ के 1/4 सम्पूर्ण हिस्सा का खातेदार पाटी संख्या 2 छंगाराम को 1/12 भाग, छीतर को 1/12 भाग, रामकरण को 1/24 भाग एवं हजारी को 1/24 भाग के खातेदार घोषित किया जावे। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर हाल 186 रकबा 0.07 हैक्टेयर वाके ग्राम जैनपुरवास तहसील बहरोड़ मे द्वितीय पार्टी छंगाराम, छीतर, रामकरण, हजारी के नाम खातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाकर उक्त सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार पार्टी संख्या 1 भागीरथ पुत्र हरीसिंह को खातेदार घोषित किया जाता है। इसी कदर हाल भू–राजस्व को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बनाम अहकाम जारी किया जावे।

आज दिनांक .... को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

(रामकिशोर मीना–II)
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड)